

कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ।

संख्या 772 / स्तम्भ लिपिक-2015

दिनांक 15-12-2015

सामान्य निर्देश

से प्रभावी की जाती है। इस सूची के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय:-

उत्तर प्रदेश स्तम्भ (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं उत्तर प्रदेश स्तम्भ (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 के नियम 4 के अधीन जनपद लखनऊ में स्थित सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु संलग्न सूची दिनांक 15-12-2015 से प्रभावी की जाती है। इस सूची के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय:-


1. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर स्तम्भ प्रभावी की गयी है, में न्यूनतम मूल्य की गणना इस सूची के किस भाग के किस पृष्ठ के किस क्रमांक व कालम के अनुसार की गयी है, का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। यह सूचना स्तम्भ प्रभावीता को प्रभावित करने वाली सूचना मानी जायेगी।

2. विलेख में अंकित सम्पत्ति की चौहद्दी में यदि कोई मार्ग है तो उस मार्ग की चौड़ाई तथा मार्ग के प्रचलित नाम का उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा।
3. कृषिक भूमि के अन्तर्गत विलेख के साथ उस सम्पत्ति के अद्यावधिक खसरे व खतौनी या किस्मान बही के संसंगत अंश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।

4. जिस गैर कृषक सम्पत्ति की चौहद्दी में पार्क हो तो भूखण्ड के न्यूनतम मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी। जिस गैर कृषक सम्पत्ति की सीमाओं में एक के अधिक मार्ग हो, ऐसी सम्पत्ति के भूखण्ड हेतु न्यूनतम मूल्य की गणना अधिक मूल्य दर वाले मार्ग की निर्धारित की गयी दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी। यदि उपरोक्त दोनों (पार्क व दो मार्ग) परस्परवर्तित विद्यमान हो तो ऐस भूखण्ड के मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी।

(राज शंकर)
जिला मैजिस्ट्रेट
लखनऊ।

अपर जिलाधिकारी (वि एवं वी)
लखनऊ।


 (पं. सं. 10) एवं (पं. सं. 10)
 (अनुमोदन संख्या)
 (अनुमोदन संख्या)

- अतिरिक्त वृद्धि करके मूल्यांकन किया जाएगा।
- (v) - अनुपातिक भूमि का मूल्यांकन अधिकतम दर वाली सड़क की दर से आगोशित करते हुए 10 प्रतिशत की मटेस्ट्रीज और वाणिज्यिक भवनों के परिसर यदि दो या दो से अधिक मार्गों पर स्थित है तो उसके होता है तो समस्त यूनिट/ब्लॉक का मूल्यांकन मुख्य मार्ग पर निर्धारित दर से किया जाएगा।
- (iv) - मटेस्ट्रीज और वाणिज्यिक भवनों के परिसर का निकास यदि मुख्य मार्ग अथवा उसकी सर्जिस लेन पर नहीं होगी।
- (iii) - मटेस्ट्रीज और वाणिज्यिक भवनों के पेन्ट हाउस के विकय विलेखों में किसी प्रकार की छूट अनुमत्य नहीं होगी।
- (ii) - सातवीं मंजिल एवं उससे ऊपर की मंजिलों के मूल्यांकन में 15 प्रतिशत की कमी करके मूल्यांकन किया जाएगा।
- (i) - चौथी मंजिल से लेकर छठी मंजिल तक के मटेस्ट्रीज और वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में 10 प्रतिशत की कमी करके मूल्यांकन किया जाएगा।

- (ख) प्रचलित दर सूची के भाग तीन प्राकृ-5 ख में वर्णित और वाणिज्यिक भवनों में-
7. (क) प्रचलित दर सूची के भाग तीन प्राकृ 5 (ख) में वर्णित 3 मंजिल से अधिक मंजिल वाले मटेस्ट्रीज और वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निर्माण दरों एवं भूमि के अनुपातिक मूल्य को जोड़कर किया जाएगा। फ्लैट में निहित अनुपातिक भूमि के क्षेत्रफल उसके आच्छादित क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया) के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
6. बेसमेन्ट का तात्पर्य ऐसे तल से होगा जो पूर्णतः भूमि के अन्दर स्थित हो। यदि कोई तल आधा भूमि के अन्दर तथा ऊपर का कुछ भाग भूमि के ऊपर हो तो उसकी गणना भूतल के रूप में की जाएगी।
5. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभाय होता है, के साथ, उस सम्पत्ति पर प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभाय होता है, के साथ, उस सम्पत्ति पर पूर्ण विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
- आंकल करने हेतु अनुमत्य होगी। यदि प्रथमतः सम्पत्ति को पूर्व में कोई इकरारनामा हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन का माबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। महिला पक्षकार सुविधानुसार अपने पति/पिता/आई का माबाइल नम्बर कर्ता-विकर्ता व गवाह का फोन नम्बर व पहचान पत्र संख्या तथा मानचित्र को छुट्ट कराने वाले का नाम पता व जिसमें निर्मित क्षेत्र, विलेख के पक्षकारों के नाम, पिता/पति का नाम, मकान नम्बर, गली मोहल्ला, ब्लॉक का पूरा पता पहचाने का मार्गदर्शक मानचित्र (नक्शा नजरी), तथा सम्पत्ति पर निर्माण होने की दशा में, निर्माण पूर्ण मानचित्र, प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभाय होता है, के साथ, उस सम्पत्ति पर

(vi)- मलेरीयोज रौर वाणिज्यिक भवनों के फ्लैट के अतिरिक्त किसी कबड् पार्किंग के विक्रय होने की दशा में उसके कबड् क्षेपकल का मूल्यांकन तीन मजिल तक रौर वाणिज्यिक भवनों के आर0सी0सी0 निर्माण हेतु निर्धारित दर के अनुक्रम किया जायगा।

8. जनपद लखनऊ में स्थित किसी भी मार्ग पर स्थित ओवर डिवा (फ्लाइंग ओवर) की ऊंचाई के प्रासिक बिन्दु से ढलान की समिति के बिन्दु तक, नीचे की सड़क पर स्थित मूखण्डों का मूल्यांकन उस मार्ग हेतु निर्धारित मूखण्ड की दर में 20 प्रतिशत की कमी कर दी जायगी।

9. यदि कोई राजस्व ग्राम अथवा मोहल्ला इस रेट सूची में आंकित होने एवं उसकी दर निर्धारित किये जाने से छूट गया है तो उस राजस्व ग्राम अथवा मोहल्ला इस रेट सूची से निकटतम राजस्व/मोहल्ला की दर प्रमाणी होगी।

10. जिन क्षेत्रों में किसी अधिनियम के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभाय है उसके सम्बन्ध में विवेख में यह तथ्य लिखना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभाय होने की सीमा के अन्तर्गत है अथवा बाहर है।

11. एक मजिल से अधिक परन्तु तीन मजिल तक के भवन के अलग-अलग तल के अन्तरण विवेख में दो मजिल की दशा में प्रत्येक मजिल में अधिमजिल भूमि का अंश 50 व 50 प्रतिशत होगा तथा तीन मजिल की दशा में प्रत्येक मजिल में भूमि का अधिमजिल अंश 33.3 (1/3) प्रतिशत होगा। इसी प्रकार किसी भवन के किसी तल की छत के अन्तरण विवेख में छत के न्यूनतम मूल्य की गणना सम्बन्धित स्थल की अक्षक भूमि की निर्धारित दर के अनुसार निम्न प्रकार की जायगी:-

(क) भूतल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/2 भाग से


(ख) प्रथम तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/3 भाग से

(ग) द्वितीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/4 भाग से

(घ) तृतीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/5 भाग से


उपरोक्त प्रकार से प्रत्येक तल के ऊपर की छत के विक्रय पर निर्धारित अक्षक भूमि की दर का एक भाग बढ़ता जायगा अर्थात् चतुर्थ तल की छत हेतु 1/6, पंचम तल की छत हेतु 1/7 आदि।

अपर निर्धारित (दर दर 210)
लखनऊ।


 (धनानन्द शर्मा)
 अपर निर्वाहिकाधी (वि० एवं ए०)
 लखनऊ।

14. इस निर्देश की कम संख्या 13अ श्रेणी 1 व 2 तथा 13ब की श्रेणी 1 में निर्दिष्ट भूमि सीमा के उपरान्त अवशेष कृषिक भूमि यदि सड़क एवं आबादी दोनों से सटी है तो सम्बन्धित स्थान हेतु निर्धारित सड़क की दर में 40 प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा तथा कृषि भूमि यदि आबादी से सटे गाटा संख्या से 50 मीटर से दूर परन्तु 200 मीटर की परिधि के अन्दर स्थित है तो उस क्षेत्र हेतु प्रचलित सामान्य कृषि दर में 30 प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा। यदि कोई कृषि भूमि किसी सड़क पर स्थित है और उसके 50 मीटर की परिधि में आबादी स्थित है तो ऐसी स्थिति में उस सड़क हेतु निर्धारित कृषि दर में 40 प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा।
15. अन्तर्गत सम्पत्ति में बोरवेल या क्यूआँ नल/हैण्डपम्प आदि होने पर उसका मूल्य अलग से आंकलित किया जायेगा। बोरवेल/सबमर्सिबल का मूल्य 30000/- रु० प्रति बोरवेल/सबमर्सिबल होगा तथा क्यूआँ का मूल्य प्रति क्यूआँ 10000/- रु० तथा नल/हैण्डपम्प का मूल्य प्रति नल 5000/- रु० होगा।

श्रेणी	क्षेत्रफल	न्यूनतम मूल्य
1	0.050 हेक्टेयर तक	इस सूची के भाग-2 में दी गयी अक्षेपक भूमि की दर, से निकाला गया न्यूनतम मूल्य।
2.	0.050 हेक्टेयर से अधिक	0.050 हेक्टेयर तक उपरोक्त श्रेणी-1 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि हेतु दर सूची में उक्त स्थान हेतु निर्धारित कृषि भूमि की दर से निकाले गये मूल्य का योग



(दिनांक 10/05/2010)
 (दिनांक 10/05/2010)
 (दिनांक 10/05/2010)

किया जाएगा।

नगर निगम सीमा के बाहर 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की दशा में उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में किया जाएगा तथा उक्त भूमि यदि अर्कषिक है तो उस स्थान से निष्कासित अर्कषिक भूमि की दर में 50 प्रतिशत की कमी करते हुए मूल्यांकन

(घ)

जायेगा।

नगर निगम सीमा से बाहर 1000 वर्गमीटर तक के स्थापित कोल स्ट्रेज / भट्टे व अन्य औद्योगिक संरचनाओं की भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र में किया जाएगा अर्कषिक मूल्यांकन की दर में 20 प्रतिशत कम करते हुए किया

(ग)

कम करते हुए किया जाएगा।

नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्थापित कोल स्ट्रेज / भट्टे / वेयर हाउस व अन्य औद्योगिक संरचनाओं की भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र में किया जाएगा अर्कषिक मूल्यांकन की दर में 20 प्रतिशत व


(ख)

1-	अमासी औद्योगिक क्षेत्र -	रुपय 4,500/- प्रतिवर्ग मीटर
2-	गहक औद्योगिक क्षेत्र-	रुपय 5,000/- प्रतिवर्ग मीटर
3-	हरतन्दपुर गाँविकाँसा / गाँविकाँसा /	रुपय 6,000/- प्रतिवर्ग मीटर
	तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र-	
4-	विनहट औद्योगिक क्षेत्र-	रुपय 6,000/- प्रतिवर्ग मीटर
5-	धावा औद्योगिक क्षेत्र-	रुपय 5,000/- प्रतिवर्ग मीटर

(क) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू.पी.आई.डी.सी.) या सरकारी निगमों या सरकारी विभागों के द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ विकसित मूल्यांकन की दरें-

(क)

17. औद्योगिक भूमि एवं भवन का मूल्यांकन निम्नवत किया जाएगा-



 जिलाधिकारी (वि० एवं स०)

 जयपुर

- निम्नवत होगा:-
23. अन्तर्गत सम्पत्ति में फलदार या बिना फलदार के वृक्ष होने की दशा में प्रति वृक्ष व्यास के अनुसार उनका मूल्य सूची का भाग है।
22. दिनांक 01.12.2015 को निर्गत एकल/एकल से भिन्न दुकानों/वाणिज्यिक अडिष्ठानों से सम्बन्धित दर सूची इस आच्छादित क्षेत्रफल के मूल्य के भाग के आधार पर आगणित किया जाएगा।
21. यदि कोई और वाणिज्यिक बहुमंजिला इमारत सम्पूर्ण रूप से अन्तर्गत होती है तो उसका बाजार मूल्य भी एवं उपरोक्त सुविधाओं से रहित सभी फ्लैट साधारण कैटेगरी में समझे जायेंगे।
20. ऐसे फ्लैट जिनके परिसर में रिवर्सिंग पूल, क्लब, रेस्टोरेंट अथवा बार में से कोई भी दो सुविधाएँ मौजूद हैं तो इनकी गणना प्रीमियम फ्लैट्स की श्रेणी के रूप में की जायेगी और इसी अनुक्रम निर्धारित निर्माण की दर प्रभाय होगी।
19. यदि कोई सम्पत्ति प्राकृतिक क्षेत्र या अन्य किसी मुख्य मार्ग की सर्किल लेन पर स्थित है तो उसकी अवस्थिति संगमनेर रोड/मुख्य मार्ग पर मानी जायेगी और उसी अवस्थिति के अनुसार निर्धारित दर प्रभाय होगी, तथा जो मोहल्ले/राजस्व ग्राम प्राकृतिक क्षेत्र में वर्गीकृत विन्हीत सड़कों पर स्थित होने की दशा में रोड संगमनेर रोड की अवस्थिति संगमनेर रोड या अन्य किसी मुख्य मार्ग की सर्किल लेन पर स्थित है तो यदि कोई सम्पत्ति प्राकृतिक क्षेत्र या अन्य किसी मुख्य मार्ग की सर्किल लेन पर स्थित है तो उसकी अवस्थिति संगमनेर रोड/मुख्य मार्ग पर मानी जायेगी और उसी अवस्थिति के अनुसार निर्धारित दर प्रभाय होगी, तथा जो मोहल्ले/राजस्व ग्राम प्राकृतिक क्षेत्र में वर्गीकृत विन्हीत सड़कों पर स्थित होने की दशा में रोड संगमनेर रोड की अवस्थिति संगमनेर रोड या अन्य किसी मुख्य मार्ग की सर्किल लेन पर स्थित है तो यदि कोई सम्पत्ति प्राकृतिक क्षेत्र या अन्य किसी मुख्य मार्ग की सर्किल लेन पर स्थित है तो उसकी अवस्थिति संगमनेर रोड/मुख्य मार्ग पर मानी जायेगी और उसी अवस्थिति के अनुसार निर्धारित दर प्रभाय होगी।
18. इस मूल्यांकन सूची में निर्धारित अक्षरक मूल्यांकन (एक यूनिट) की दर 1000 वर्ग मीटर तक लागू होगी। इससे अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में 1000 वर्गमीटर से अधिक अवशेष क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मूल्यांकन की दर 30 प्रतिशत कम करके लागू होगी।

(ब) स्थापित औद्योगिक संस्थानों में लगी मशीनों एवं अन्य उपकरणों का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैल्यूअर से प्राप्त आख्या के आधार पर किया जायेगा। आख्या में वैल्यूअर की पंजीकरण संख्या, पत्र व्यवहार का पता तथा मोबाइल नम्बर साफ साफ अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(i) आर०सी०सी०/आर०बी०सी०निर्माण हेतु	-	रुपये 6,000 प्रति वर्ग मीटर
(ii) टिन रोड/एस्बेस्टस	-	रुपये 4,000 प्रति वर्ग मीटर
(iii) खपरैल	-	रुपये 2,000 प्रति वर्ग मीटर


(ख) औद्योगिक निर्माण की दर निम्नवत होगी-

राजस्थान सरकार का वार्डिकरण विभाग, अर्धनगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र

भाग - 1

पृष्ठ - 1

क्र.सं.	वार्ड नाम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
1	मडियाव	102	महोना	0154
2	रामपुर निस्क	102	महोना	0184
3	सहारा स्टेट (मडियाव)	102	महोना	0220
4	सहारा ग्रैस (मडियाव)	102	महोना	0222



(जनसंपर्क विभाग)
अपर निवाहिकारी (वि० एवं सं०)
लखनऊ।



भाग-1

प्राक-1

रजिस्ट्रिकरण वप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

ख- अर्धनगरीय क्षेत्र

क्रम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा वप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	अजमहर कला	3	4	
2		इंटीजा		102	महोना 0038
3		उमरगरी		102	महोना 0041
4		एलिको सिटी (मुबारकपुर)		102	महोना 0224
5		केसरमऊखुर्द		102	महोना 0058
6		केसरमऊकला		102	महोना 0057
7		कमलापुर		101	लखनऊ 0002
8		कमलाबाद बहौली		102	महोना 0046
9		कमलाबाद		101	लखनऊ 0001
10		कांडी मौली		101	लखनऊ 0003

(अनन्त शर्मा)
क्षेत्र जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।

परिष्कारण उप विभा बख्शी का तालाब विभा लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

पृष्ठ-1

भाग-1

ख- अर्धनारीय क्षेत्र

क्रम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ़वेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2		3	4	
11	11	खरगपुर गानौर	101	लखनऊ	0005
12	12	खैरिया	101	लखनऊ	0004
13	13	गालिन्दपुरी	102	महोना	0072
14	14	गायला	102	महोना	0067
15	15	गांग जोर	102	महोना	0065
16	16	गुडम्हा	102	महोना	0068
17	17	बकाना गिरि	102	महोना	0075
18	18	वरहिया	102	महोना	0091
19	19	विवासीपुर	101	लखनऊ	0006
20	20	देवरई कला	102	महोना	0099

अपर विभाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ
लखनऊ

भाग-1

प्राक-1

रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गानुक्रम में

ख- अर्धनगरीय क्षेत्र

क्रम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा	परगना या बाड़ का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साप्टवेयर में आवांति किया गया बी-कोड
1	2			3	
21	दसौली		102	महोना	0096
22	धाबैला		101	लखनऊ	0009
23	नरहरपुर		101	लखनऊ	0010
24	नवीकोट नन्दना		102	महोना	0105
25	पट्टी		101	लखनऊ	0012
26	पूरुवाब		101	लखनऊ	0014
27	पूकरामऊ		102	महोना	0121
28	बराही मगठ		102	महोना	0130
29	बरखुरदारपुर		102	महोना	0128
30	बसही		102	महोना	0132

(अनन्त शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (डि० एवं ए०)
लखनऊ।

रजिस्ट्रीकरण उप विभा बस्ती का लाला विभा लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्थनारीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

भाग-1
प्रक-1

ख- अर्थनारीय क्षेत्र

क्रम	संख्या	राजस्व शान या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व शान की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सापेक्षेत्र में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4		
31	बनौर	102	महोना	0127	
32	लीकामऊ कर्ला	102	महोना	0136	
33	मिठौली खुर्द	101	लखनऊ	0017	
34	भवानी पुर	102	महोना	0147	
35	श्यामऊ	102	महोना	0151	
36	शौली	102	महोना	0152	
37	आखामऊ	102	महोना	0148	
38	महिपलपुर	102	महोना	0165	
39	मुबारकपुर	102	महोना	0173	
40	मुहौल्लददीनपुर	101	लखनऊ	0019	

(सहस्रमह दीपना)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।



रजिस्ट्रिकरण उप विभा बख्शी का लालब जिना लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

भाग-1
प्रकार-1

ख- अर्धनगरीय क्षेत्र

क्रम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सापेक्षेषर में आवाहित किया गया वी-कोड
1	2		3	4	
41	महोना		102	महोना	0166
42	मामपुर बाना		102	महोना	0170
43	मिश्रपुर		102	महोना	0171
44	मिर्जापुर		101	लखनऊ	0018
45	राम पुर देवरई		102	महोना	0183
46	राजापुर इन्दौरा		102	महोना	0180
47	रसूलपुर सादाल		102	महोना	0178
48	रसूलपुर कायस्थ		102	महोना	0177
49	कदही		102	महोना	0187
50	सरेया		102	महोना	0196

अर्धनगरीय क्षेत्र (ख- एवं यो)

...

...

आपके निम्नलिखित (वि० एवं पृ०) विवरण
(संलग्न शिक्का)



क्र.सं.	विवरण	प्रकार	क्र.सं.
58	श्रीधरपुर	महाना	0213
57	सालामऊ	महाना	0198
56	साईपुर	महाना	0199
55	सहाया सिटी इन्स (नरहरपुर)	लखनऊ	0223
54	सरीरा	लखनऊ	0022
53	सरकपुर	महाना	0208
52	सैदपुर जमीर	लखनऊ	0023
51	सैदापुर	लखनऊ	0024
2			4
1			3

प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया वी-कोड

परगना या वार्ड का नाम

माहले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप माहले, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये

राजस्व ग्राम या माहले का नाम

रजिस्ट्रिकरण उप विभा बख्शी का लालाब जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

ख- अर्धनगरीय क्षेत्र

प्राक-1

भाग-1

रजिस्ट्रिकरण वप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
शामील क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

प्राकृ-1

भाग-1

ग- शामील क्षेत्र

कम	राजस्व ग्राम या मोहल्ले	का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा	निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि	कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी	या मजरा का नाम उल्लिखित किया	जाये	परनाम या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने	वाले सापटवेयर में	आवृत्त किया गया	वी-कोड
1	2	3	4	102	महोना	0033	अरन्धा	अचरामऊ	2	0027	अचरामऊ	0033
3	3	3	4	102	महोना	0034	अचरामपुर	अचरामपुर	3	0034	अचरामपुर	0034
4	4	4	4	102	महोना	0031	अधार खेड़ा	अधार खेड़ा	4	0031	अधार खेड़ा	0031
5	5	5	5	102	महोना	0032	अर्जुनपुर	अर्जुनपुर	5	0032	अर्जुनपुर	0032
6	6	6	6	102	महोना	0037	अहमदपुर खेड़ा	अहमदपुर खेड़ा	6	0037	अहमदपुर खेड़ा	0037
7	7	7	7	102	महोना	0036	अयनहा	अयनहा	7	0036	अयनहा	0036
8	8	8	8	102	महोना	0035	अरली	अरली	8	0035	अरली	0035
9	9	9	9	102	महोना	0029	अट्यवा	अट्यवा	9	0029	अट्यवा	0029
10	10	10	10	102	महोना	0026	अकबरपुर	अकबरपुर	10	0026	अकबरपुर	0026
11	11	11	11	102	महोना	0030	अलैया	अलैया	11	0030	अलैया	0030

रजिस्ट्रिकरण (वि० एवं ए०)
लखनऊ

राजकीकरण उप विभा बख्शी का तालाब विभा लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गानुक्रम में


पृष्ठ-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
12	इन्दारा	102	महोना	0039
13	उमरिया	102	महोना	0052
14	उखरना	102	महोना	0042
15	उनई	102	महोना	0040
16	कुम्हरवा	102	महोना	0055
17	कुंवरपुर	102	महोना	0056
18	कुंवा	102	महोना	0044
19	कपासी	102	महोना	0045
20	कमालपुर सिरसा	102	महोना	0048
21	कमालपुर कायस्थ	102	महोना	0047
22	करसन्डा	102	महोना	0049

आपराधिकता (पुं एवं पुं) कायस्थ



रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का तालाब जिला बख्शज में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
 ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिकम में

प्राकृ-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम संख्या	राजस्व शाम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व शाम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किसे जाने वाले सापटवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
23	करींदी	102	महोना	0051
24	करीमनगर	102	महोना	0050
25	कालीहार	102	महोना	0053
26	कौडिया मऊ	102	महोना	0059
27	करवारा	102	महोना	0043
28	किशनपुर	102	महोना	0054
29	खर्जूरी	102	महोना	0060
30	खसरावा	102	महोना	0062
31	खानपुर	102	महोना	0063
32	खन्नापी	102	महोना	0061
33	गौरवा मऊ	102	महोना	0070

(मन्तर मन्तर)
 ग्राम जिलाकारा (पृष्ठ सं 48)

बख्तक

विस्तृतिका रूप विना बख्शी का तालाब विना लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
 ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में


प्राक-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

क्रम	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किसे जाने वाले साइटवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
34	गौराही	102	महोना	0071
35	गोधना	102	महोना	0069
36	गोहना खूँ	102	महोना	0074
37	गोहनाकाली	102	महोना	0073
38	गढ़ा	102	महोना	0064
39	गुलागपुर	102	महोना	0066
40	खन्नापुर	102	महोना	0079
41	खन्नाकोडर	102	महोना	0080
42	चौगावा	102	महोना	0082
43	चौदपुर-खानीपुर	102	महोना	0081
44	चकपुखीपुर	102	महोना	0076

अध्यापक
 अथर्व विभागाध्यक्ष (वि० एवं ए०)
 (अर्थशास्त्र विभाग)



रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का तालाब जिला बखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में


प्रकप-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किसे जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
45	चकबनकट	102	महोना	0077
46	चकवीवीपुर	102	महोना	0078
47	जमखनवा	102	महोना	0083
48	जालपुर	102	महोना	0084
49	टिकरी	102	महोना	0085
50	टिकरी	102	महोना	0086
51	डेरवा	102	महोना	0087
52	झीरपुर	102	महोना	0089
53	डिवासी	102	महोना	0090
54	तारनपुर	102	महोना	0092
55	दुधरा	102	महोना	0097

(अमर नारायण)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
बखनऊ।



रजिस्ट्रिकरण वप जिला बख्शी का गालाब जिला बखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
 ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिकम में


प्राकृ-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2		3	4	
56	दुर्जनपुर		102	महोना	0098
57	दुर्गौर		101	बखनऊ	0007
58	देवरी ऊखारा		102	महोना	0100
59	दरौना		102	महोना	0094
60	दरियापुर		102	महोना	0093
61	दौलतपुर		102	महोना	0101
62	दिगाई		102	महोना	0088
63	दिनकर पुर झलौवा		102	महोना	0095
64	दिनोहरा		102	महोना	0102
65	धलिनारा		101	बखनऊ	0008
66	नरायनपुर		102	महोना	0106

अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ध०)
 बखनऊ।



रजिस्ट्रिकरण उप विभा बख्शी का ताबाब जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

भाग-1
प्राक-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम	सख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवृत्त किया गया वी-कोड
1	2		3	4	
67	नरायनहार	नरीया	102	महोना	0107
68	नरीया	नरीया	102	महोना	0108
69	नगवामऊखुर्द	नगवामऊखुर्द	102	महोना	0104
70	नगवामऊकला	नगवामऊकला	102	महोना	0103
71	परसाहिया	परसाहिया	102	महोना	0111
72	परसऊ	परसऊ	102	महोना	0112
73	पलका	पलका	102	महोना	0113
74	पहिचम गाँव	पहिचम गाँव	101	लखनऊ	0011
75	पलिया	पलिया	102	महोना	0114
76	पदलपुर	पदलपुर	102	महोना	0110
77	पुरवा	पुरवा	101	लखनऊ	0013

(सहस्र) (सहस्र) (सहस्र) (सहस्र) (सहस्र)
 ग्राम विभा (वि. प्र. वि.)
 लखनऊ

✓

रजिस्ट्रिकरण उप विभा बख्शी का गालाब जिना लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
 ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

पृष्ठ-1

पृष्ठ-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सापेक्ष संख्या में आवंटित किया गया बी-कोड
1	2		3	4	
78	पहाड़पुर	102	महोना	0115	
79	पूव्ही पुर	102	महोना	0120	
80	परा	102	महोना	0116	
81	पालपुर	102	महोना	0117	
82	पौडपुर	102	महोना	0122	
83	पट्टी	102	महोना	0109	
84	पिपरी	102	महोना	0118	
85	पिथीनगर	102	महोना	0119	
86	फर्रुखाबाद	101	लखनऊ	0015	
87	फरीदपुर खमरहूँ	102	महोना	0123	
88	बरगद्दी कला	102	महोना	0129	

(संलग्न सूचना)
 शहर जिलाधिकारी (वि० एवं पा०)
 लखनऊ।

रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का वाला बख्शी का लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
 ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

पृष्ठ-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सापटवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4		
100	बीबीपुर	102	महोना	0138	
101	बीकानऊ खर्द	102	महोना	0137	
102	भरगहना	102	महोना	0146	
103	भरसर	102	महोना	0144	
104	भरपी	102	महोना	0141	
105	भरपीपुर	102	महोना	0142	
106	भीखमपुर	102	महोना	0150	
107	भटसुवा	102	महोना	0143	
108	भिखारी पुर	102	महोना	0149	
109	भरघा	102	महोना	0157	
110	भरहीपुर	102	महोना	0158	

(सम्बन्धित संख्या)
 उपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
 लखनऊ।



भाग-1

प्राकप-1

रजिस्ट्रिकरण रप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा रप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सापटवयर में आवंटित किया गया बी-कोड	
1	2			3		
111	मलकपुर			102	महोना	0159
112	महोना			102	महोना	0161
113	मदारीपुर			102	महोना	0156
114	मवड़कला			102	महोना	0160
115	मुखसिपरी			102	महोना	0174
116	मडौली			102	महोना	0155
117	माधौपुर			102	महोना	0167
118	मोहम्मद पुर मजरा			102	महोना	0163
119	मोहम्मद पुर सरेया			102	महोना	0164
120	मोहम्मद पुर मठी			102	महोना	0162
121	मानपुर राजा			102	महोना	0168

(सिन्हा राजेश कुमार)
अधर जिलाधिकारी (वि० एवं री०)
लखनऊ।

रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का लालाब जिला लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

भाग-1
प्राकृ-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	पर्यना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवृत्त किया गया बी-कोड
1	2	3	4	
122	मानपुर लाला	102	महोना	0169
123	मझौरिया	102	महोना	0153
124	मिथीपुर	102	महोना	0172
125	यकड़िया कला	102	महोना	0175
126	रायपुर राजा	102	महोना	0186
127	रायपुर बाई	102	महोना	0185
128	रायपुर बेहड़ा	102	महोना	0182
129	राजापुर सलेमपुर	102	महोना	0181
130	राजपुर	102	महोना	0179
131	रजौली	102	महोना	0176
132	शैया	101	लखनऊ	0020

(संख्या) 100/2019
आपर जिलाधिकारी (वि० एवं स०)
लखनऊ।

रजिस्ट्रिकरण उप विभा बख्शी का तालाब विभा लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

भाग-1

प्राक-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड
1	2	3	4	
133	देवानऊ	102	महोना	0188
134	लौधौली	102	महोना	0190
135	लाल पुर	102	महोना	0189
136	लक्ष्मीपुर	101	लखनऊ	0021
137	सरसवा	102	महोना	0192
138	सादा मऊ	102	महोना	0197
139	सराय उसरना	102	महोना	0193
140	सराय दाम	102	महोना	0194
141	खैरपुर	101	लखनऊ	0025
142	सरायी	102	महोना	0195
143	सज्जादलनगर	102	महोना	0191

(सन्तुष्ट शैली)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।

रजिस्ट्रिकरण उप विभा बख्शी का तालाब विभा बख्शक में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

भाग-1


भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त क्रिये जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
144	सुल्तानपुर	102	महोना	0206
145	सुवर्णापुर	102	महोना	0204
146	सुमाननगर आरियावा	102	महोना	0205
147	सोनावा	102	महोना	0203
148	सीवा	102	महोना	0202
149	सिहमऊ	102	महोना	0201
150	सिंह पुर	102	महोना	0200
151	शाहपुर नवल	102	महोना	0210
152	शाहपुर राजा	102	महोना	0209
153	शिवपुरी	102	महोना	0212
154	शिवखंड	102	महोना	0211



(सम्मान्य सुबला)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं स०)
बख्शक।



रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
 ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

प्राक-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साप्टवेयर में आवांतिव किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
155	शिवरी	102	महोना	0207
156	दैभी	102	महोना	0214
157	हालपुर	102	महोना	0218
158	हाली चक	102	महोना	0217
159	हरदौरपुर	102	महोना	0216
160	हनुमानपुर	102	महोना	0215
161	हिमालपुर	102	महोना	0219

(अनन्त सिंह)
 अपर जिलाधिकारी (वि० एवं सा०)
 लखनऊ।


उप जिला बस्ती का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में आर्कषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बोस्किक वेल्थ)

भाग-2
प्रकार-2

आवृत्त किया गया वी-कोड	1	2	3		4
			मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	
सापटवेयर में					
आवृत्त किया गया वी-कोड					
0033	अरखा	102	महोना	1400	
0027	अधरामऊ	102	महोना	4000	
0034	अन्दमपुर	102	महोना	1400	
0031	अधर खेड़ा	102	महोना	4800	
0032	अर्जुनपुर	102	महोना	3500	
0028	अजानहर कला	102	महोना	5500	
0037	अहमदपुर खेड़ा	102	महोना	3500	
0036	असनहा	102	महोना	1400	
0035	अस्ती	102	महोना	4000	
0029	अदरखा	102	महोना	1400	



(मानव संसाधन)
अधर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।



उप जिला बध्नी का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकृत मं अकषक मंमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

भाग-2
प्रकार-2

साइटवेयर में माहिले या राजस्व ग्राम का नाम	1	2	3	4
आवृत्त किया गया बी-कोड				
0026	अकबरपुर	102	महोना	1400
0030	अतरौरा	102	महोना	1400
0039	इन्दारा	102	महोना	1700
0038	इटौला	102	महोना	5500
0041	उमरगोरी	102	महोना	4000
0052	उमरिया	102	महोना	1400
0042	उसरना	102	महोना	1700
0040	उनई	102	महोना	1400
0224	एलिका सिटी (मुबारकपुर)	102	महोना	16000
0055	कुम्हरवा	102	महोना	4000

(अनन्त शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।

1	2	3	4
साफ़तवेयर में आवांति किया गया वी-कोड			
0056	कंबपुर	102	महोना
0044	कौरी	102	महोना
0058	केसरमऊखुई	102	महोना
0057	केसरमऊकला	102	महोना
0045	कपासी	102	महोना
0002	कमलापुर	101	लखनऊ
0046	कमलाबाद बहौली	102	महोना
0001	कमलाबाद	101	लखनऊ
0048	कमलापुर सिरसा	102	महोना
0047	कमलापुर कायस्थ	102	महोना
			1400

उप जिना बखी का लालाब जिना-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकृत में अक्षक मूंस की दर प्रति वर्गमीटर (वैसिक वेल्स)

भाग-2
प्रकृ-2

लखनऊ
अपर जिलाधिकारी (वेल्स एवं एंजि.)
(लखनऊ)

उप जिला बस्ती का तालाब जिगा-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वषानुक्रम में अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (वैदिक बेल्ट)

भाग-2

प्राक-2

1	2	3	4
साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड	माइल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम वॉर्ड रास्ते पर)
0049	करसन्दा	102	महोना
0051	करौदी	102	महोना
0050	करीमनगर	102	महोना
0053	कालीहार	102	महोना
0003	कोइली मौली	101	लखनऊ
0059	कौडिया मऊ	102	महोना
0043	कठवार	102	महोना
0054	किशनपुर	102	महोना
0005	खरगपुर जगीर	101	लखनऊ
0060	खजुरी	102	महोना

(अन्वय स्थला)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।

उप जिला बस्ती का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बसिक वेर्य)

भाग-2
प्रक-2


1	2	3	4
साफवेयर में मोहले या राजस्व ग्राम का नाम		परगना या वार्ड का नाम	अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम वॉर्डे रास्ते पर)
0062	खसरावा	102	महोना
0063	खानपुर	102	महोना
0004	खैय्या	101	लखनऊ
0061	खन्दापी	102	महोना
0070	गोरवा मऊ	102	महोना
0071	गोरही	102	महोना
0072	गोविन्दपुरी	102	महोना
0069	गोधना	102	महोना
0067	गांधवा	102	महोना
0074	गोहना खर्द	102	महोना
			3500
			5500
			1400
			4000
			1400
			3500
			4000
			5500
			1400
			1400
			4

(अन्ततः सुकला)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।

उप जिला बक्षी का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अक्षेपक भाँसे की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

भाग-2
प्रारूप-2

संपत्तियों में माहिले या राजस्व ग्राम का नाम	1	2	3	4
0073	राहनाकला	102	महोना	4000
0065	गाम जोर	102	महोना	3500
0064	गाँवा	102	महोना	1400
0066	गुलागपुर	102	महोना	1400
0068	गुडखा	102	महोना	6600
0079	चन्दनापुर	102	महोना	1400
0080	चन्दाकोडर	102	महोना	4000
0082	चौगावा	102	महोना	1400
0081	चौदपुर-खानीपुर	102	महोना	4400
0076	चकपुखीपुर	102	महोना	1400



(सह-उप बखी)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।

उप जिला बस्ती का तालाब जिना-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकृत हैं अर्द्धक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बैरिक वेल्ड) में

भाग-2

प्रकार-2

साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड	1	2	3		अर्द्धक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)
			महोला या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	
0077	चकबनकट	102	महोला	1400	
0078	चकबीबीपुर	102	महोला	1400	
0075	चकगंगा गिरि	102	महोला	5500	
0083	जमखनवा	102	महोला	1400	
0084	जलालपुर	102	महोला	1400	
0085	टिकरी	102	महोला	1400	
0086	टिकरी	102	महोला	1700	
0087	डेरा	102	महोला	1400	
0089	क्रीरपुर	102	महोला	3500	
0090	हिलवासी	102	महोला	1400	



(अनन्तर श्रवण)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं या०)
लखनऊ।



उप जिला बक्शी का तालाब जिना-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अकेषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बोसिक वेल्थ)

भाग-2
प्राक-2


1	2	3	4
सापटवेयर में आवृत्त किया गया बी-कोड			
तरीखा	102	महोना	4800
गारनपुर	102	महोना	1400
विवाहीपुर	101	लखनऊ	6600
वृषा	102	महोना	1400
कुर्नपुर	102	महोना	3500
कुर्नौर	101	लखनऊ	4000
देवरई कला	102	महोना	4400
देवरी कखारा	102	महोना	4000
दरौना	102	महोना	1400
दरियापुर	102	महोना	1400
तरहिया	102	महोना	4800
			4

अकेषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

परगना या वार्ड का नाम



(सामान्य श्रवण)
अपर विभागाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।




1	2	3	4
सापटवेयर में आवृत्त किया गया वी-कोड	मोडेल या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अक्रेषक में की दरे प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)
0096	दशौली	102	महोना 5500
0101	दौलतपुर	102	महोना 1400
0088	दिगाई	102	महोना 4000
0095	दिनकर पुर झौला	102	महोना 1700
0102	खिनोहरी	102	महोना 3500
0008	धनिया	101	लखनऊ 3500
0009	धाबला	101	लखनऊ 5500
0010	नरहरपुर	101	लखनऊ 6600
0106	नरायनपुर	102	महोना 1400
0107	नरायनहार	102	महोना 1400

उप जिगा बरही का जिगा-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अक्रेषक में की दरे प्रति वर्गमीटर (वैशिक वेर्य)

भाग-2


प्राकृ-2



(जनसंख्या विभाग)
आय विभागाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।



(अनुसूची संख्या)
 अपर विभागाधिकारी (वि० एवं ए०)
 लखनऊ।




1	2	3	4
सापटवेयर में आवृत्त किया गया वी-कोड			
0108	नरीया	102	महोना
0105	नवीकोट नन्दना	102	महोना
0104	नगामकखुर्द	102	महोना
0103	नगामककली	102	महोना
0111	परसाहिया	102	महोना
0112	परसऊ	102	महोना
0012	पहरी	101	लखनऊ
0113	पलका	102	महोना
0011	पहिलम गाँव	101	लखनऊ
0114	पलिया	102	महोना

उप विभा बक्षी का ताबाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्णानुक्रम में अक्षरक मॉडि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

भाग-2
 प्राक-2

उप जिला बस्ती का लालाब जिना-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्णिक्रम में अकंषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बसिक वेल्थ)

भाग-2

प्राकृ-2

साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड	1	2	3	4
साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड				
माहिले या राजस्व ग्राम का नाम				
0110	पर्वतपुर	102	महोना	1400
0013	पुरवा	101	लखनऊ	3500
0014	पूरवावा	101	लखनऊ	4800
0115	पहाड़पुर	102	महोना	4400
0120	पूखी पुर	102	महोना	1400
0121	धकरामऊ	102	महोना	5500
0116	पारा	102	महोना	4000
0117	पालपुर	102	महोना	1400
0122	पौड़पुर	102	महोना	1400
0109	पट्टी	102	महोना	1400

अकंषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

परगना या वार्ड का नाम

(अनन्त शिवरा)
अपर विभागाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।

उप जिला बस्ती का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

भाग-2
प्रकार-2

1	2	3	4
साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड		परगना या वार्ड का नाम	
0118	पिपरी	महोना	1400
0119	पिथीनगर	महोना	1400
0015	फरखबाद	लखनऊ	4000
0123	फतेहपुर खमराई	महोना	4000
0129	बराही कला	महोना	4000
0130	बराही मंगल	महोना	1400
0128	बख्शबादपुर	महोना	5500
0131	बराहमपुर	महोना	4800
0133	बहादुरगंज	महोना	3500
0132	बसहा	महोना	1400
			4800

(अनजब शर्तों में)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।

1	2	3	4
सापटवेयर में मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम			
आवंटित किया गया बी-कोड			
0139	बेलवा	102	महोना
0145	बहेड़ करौन्दी	102	महोना
0140	बहेटा	102	महोना
0134	बाल पुर गाँविया	102	महोना
0135	बाहर गाँव	102	महोना
0124	बगहा	102	महोना
0016	बौकमऊ	101	लखनऊ
0127	बनौर	102	महोना
0126	बनौगा	102	महोना
0125	बनगाँव	102	महोना


उप जिला बध्नी का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्णनकम में अर्कषक सूँच की दरें प्रति वर्गमीटर (बैरिंक वेल्स)

भाग-2
पृष्ठ-2

अर्कषक सूँच की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े खासों पर)

परगना या वार्ड का नाम

(अनन्ता शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।


उप विना बरषी का तालाब जिना-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकृत में अकृषक भूमि की दर प्रति वर्गमीटर (बैसिक वेल्ड)

भाग-2
प्रारूप-2

साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड	1	2	3	4
साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड				
साइटवेयर या राजस्व ग्राम का नाम				
अकृषक भूमि की दर प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम बीडें यास्ते पर)				
0138	बीबीपुर	102	महोना	1400
0137	बीकामऊ खूद	102	महोना	1700
0136	बीकामऊ कला	102	महोना	4000
0017	मिठौली खूद	101	लखनऊ	6600
0146	भरगढना	102	महोना	1400
0144	भंडसर	102	महोना	3500
0147	भवानी पुर	102	महोना	4000
0141	भूसी	102	महोना	1400
0151	भूसामऊ	102	महोना	4800
0152	भौली	102	महोना	5500



(लखनऊ शहर)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।



रूप जिला बस्ती का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अक्षयक मूल्य की दरें प्रति वर्गमीटर (बोस्कि वेल्स)

भाग-2

प्रकार-2

अक्षयक मूल्य की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े खास पर)

1	2	3	4
साइटवेयर में माहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम			
आवृत्त किया गया बी-कोड			
0161	महिलावा	102	महोना
0156	मदारीपुर	102	महोना
0160	मदकूकली	102	महोना
0173	सुबारकपुर	102	महोना
0019	सुहीउददीनपुर	101	लखनऊ
0174	सुसाधिपुरी	102	महोना
0166	महोना	102	महोना
0170	सामपुर बाना	102	महोना
0155	मंढौली	102	महोना
0167	मधौपुर	102	महोना
			4000
			1700
			5500
			4400
			1400
			6600
			5500
			3500
			4000
			1400

अध्यक्ष
अक्षय जिलाधिकारी (बी० एवं ए०)
(अक्षय)

रूप जिला बस्ती का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकृत हैं अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र (बस्तिक क्षेत्र) में

भाग-2
प्राक-2

1	2	3	4
साफ़वेयर में आवांति किया गया बी-कोड			
0163	महम्मद पुर मजरा	102	महोना
0164	महम्मद पुर सरैया	102	महोना
0162	महम्मद पुर गढी	102	महोना
0168	मानपुर राजा	102	महोना
0169	मानपुर लाला	102	महोना
0153	मडौरिया	102	महोना
0171	मिशपुर	102	महोना
0172	मिश्रीपुर	102	महोना
0018	सिवापुर	101	लखनऊ
0175	थकड़िया कला	102	महोना

अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र (बस्तिक क्षेत्र) में
वर्गीकृत (9 मीटर से कम
चौड़े रास्ते पर)

परगना या वार्ड का नाम

(संलग्न शीटों)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं सं०)
लखनऊ।

